

कार्यालय मुख्य प्रबंधक, राजस्थान परिवहन निगम, बीकानेर आगार।
क्रमांक-एफ/तक/मुप्र/बीका/2019/ दिनांक-

निविदा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बीकानेर के द्वारा संचालित की जा रही निगम वाहनो(लीलेण्ड) के रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य (job work basis) हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं।


इस संबध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस के दौरान प्रबंधक (संचा0) अथवा प्रबंधक (वित्त) के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। खंजाची भुगतान के पास रूपये 200/- नगद जमा कराकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। 7000/-रूपये नकद अथवा बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में धरोहर राशि जमा करवा कर निविदाएं दिनांक 11-6-19 को अपराह्न 03:00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त निविदाएं इसी दिन उपरिथित निविदा दाताओं के समक्ष आगारीय कमेटी द्वारा खोली जायेगी।

आगारीय कमेटी को निविदाएं निरस्त करने अथवा अस्वीकार करने तथा सफल निविदादाता का कार्य आवंटन का निर्णय लेने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

क्रमांक:-एफ/तक./मुप्र/बीका/2019/
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- _____

- 1-नोटिस बोर्ड,केन्द्रीय बस स्टेण्ड राजस्थान परिवहन निगम,बीकानेर।
- 2-प्रबन्धक(संचालन) कार्यालय,रा.रा.प.प. निगम,बीकानेर।


मुख्य प्रबंधक
रा.रा.प.प. निगम
बीकानेर

नियम प्रकृत का मरम्मत का कार्य जोब वर्क बेसिस पर करवाने हेतु निवेदन पत्र

- 1-निविदा दामा/फर्म का नाम:-
- 2-निविदा दाता के पिता का नाम:-
- 3-निविदा दाता/फर्म का पत्ता:-
- 4-निविदा दाता/फर्म का टेलीफोन नम्बर:-
- 5-निविदा दाता/फर्म की संरचना:-
भागीदार/प्रोपराईटरशिप
- 6-भागीदार/प्रोपराईटर के पत्ते:-

निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दर

कराये जाने वाले कार्य:-

- 1-इंजिन का कार्य:-
अ-इंजिन में रींग डालना
ब-सीवाई हैड, गेस किट बदली करना
स-आर.सी. इंजन बदलना (पुराना उतार कर आर.सी. लगाना)
- 2-वाहन में पुराना गियर उतार कर आर.सी. गियर लगाना
- 3-क्लच प्लेट/प्रेसर प्लेट बदली करना
- 4-वाहन के आगे/पीछे की कमानी बदली करना (मर्दि तैयार है तो)
- 5-वाहन के आगे/पीछे की कमानी तैयार कर बदली करना—
- 6-स्प्रिंग शेकल, एफआर/आर.आर. ब्रेकेट बदली करना
- 7-40,000 कि.मी. डॉकिंग(व्हील मेंटीनेंस)
अ-आगे के व्हील में किंग पिन डालनी-प्रति व्हील
ब-आगे/पीछे के व्हील मेंटीनेन्स-प्रति व्हील
(लाईनर सहित)
- 8-आर.सी. एफ.आई. पम्प, असेम्बली बदली करना
(पुराना खोलकर आर.सी. लगाना) टाटा/लीलेण्ड
- 9-आर.सी इंजेक्टर सेट-बदली करना
(पुराना खोलकर आर.सी. लगाना) टाटा/लीलेण्ड एवं टेपिट सेट करना
- 10-आर.सी रीअर ड्राईव हैड बदली करना
(पुराना खोलना व आर.सी. लगाना)

निविदा दाता के हस्ताक्षर

नोट:-टेंडर फार्म के साथ संलग्न शर्तें जोब वर्क बेसिस के अनुबंध में लागू होंगी । प्रत्येक निविदादाता पढ़ कर समझकर स्वीकार कर टेंडर के साथ हस्ताक्षर कतके संलग्न करेगा अन्यथा फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

आगार समिति किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है ।

वाहन आगार की लीलापत्र वाहनों के मरम्मत का कार्य (जोब वर्क बेसिस)

- 1- जोब वर्क बेसिस आगार कार्यशाला परिधि में करना होगा ।
- 2- वाहनों के मरम्मत के कार्य में काम आने वाले कल-पूर्जे निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 3- वाहनों के मरम्मत का कार्य का सत्यापन पारी प्रभारी/प्रबन्धक(संचालन) द्वारा किया जायेगा । किया गया कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही कार्य आधारित भुगतान देय होगा । वाहनों के मरम्मत कार्य मासिक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा । जिसके आधार पर मासिक बिल अनुबंध फर्म द्वारा भुगतानार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।
- 4- अनुबंधकर्ता/फर्म के बिल में से नियमानुसार उद्गम स्थान पर आयकर,सी.पी.एफ./ ई. एस.आई. आदि की कानूनी कटौती नियमानुसार नियोक्ता अंशदान भी अनुबंधकर्ता/फर्म द्वारा देय होगा ।
- 5- अनुबंध फर्म द्वारा मासिक बिल प्रत्येक माह प्रस्तुत करने पर बिल का भुगतान अगले माह में वाहनो का मरम्मत कार्य करते रहने पर किया जावेगा ।
- 6- यदि टेकदार अनुबंध अवधि के मध्य अनुबन्ध स्वैच्छा से छोड़ना चाहे तो उसे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी । एक माह की सूचना के मध्य कार्य छोड़ने पर धरोहर राशि जप्त करली जावेगी ।
- 7- निगम को बना किसी कारण बताये किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
- 8- निविदा फार्म में प्रति कार्य दर अंको व शब्दों में अंकित की जावेगी ।
- 9- सफल निविदादाता को प्रतिभू राशि के बतौर 7000/- रूपये जमा करानी होगी जो अनुबंध अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वापिस लौटा दी जावेगी ।
- 10- टेकेदार द्वारा किये गये कार्य के कारण वाहन ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति मासिक बिल में से कटौती की जावेगी ।
- 11- आगार कार्यशाला परिसर के दौरान टेकदार के किसी भी श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त/मृत्यु होने की स्थिति में निगम प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- 12- कार्य दिन या रात्रि पारी में अधिकारियों के आदेशानुसार कार्य करना होगा ।